डा॰ शकील अहमद: सर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को और पूरे सदन को आश्वस्त करता हूं कि USO Fund, मैंने अपने उत्तर में बताया है कि 98 परसैंट BSNL को गया है, वह ठीक है and I have explained the reason for the delay. इसलिए जो हमारे पब्लिक सैक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, वे इसको करने के लिए ज्यादा से ज्यादा कमिटिड हैं। लेकिन चूंकि हमने ही प्राइवेट ऑपरेटर्स को लाइसैंस दिया है तो लैवल प्लेइंग फील्ड उनको भी देना पड़ेगा, उनके साथ भी हम किसी तरह से इंडस्ट्री को बढ़ने से रोकना नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा BSNL कम्पीट करके इस देश के ज्यादा से ज्यादा लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधा पहुंचाएं, लेकिन जो प्राइवेट ऑपरेटर्स हैं, चूंकि हम लाइसैंसिंग अथॉरिटी हैं, मैं यहां BSNL को रिप्रजेंट नहीं कर रहा हूं, I am representing the Government of India, तो हमारे PSU और हमने जिनको भी लाइसैंस दिया है, उनके साथ हम कुछ भेदभाव नहीं करेंगे, लेकिन हमारी जो सरकारी कम्पनी है BSNL और MTNL, इनको प्रोत्साहित करने के लिए हम हर मुमकिन प्रयास करेंगे।

*124[*The questioner (Shri T.T.V. Dhinakaran) was absent. For answer vide page* 33.]

Strikes called by Delhi Bar Association

*125. SHRI AMAR SINGH:††
SHRI ABU ASIM AZMI:

Will the Minister of LAW AND JUSTICE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that lawyers belonging to Delhi Bar Association often resort to strike even on trivial matters and if so, the number of times they had gone on strike during the last two years and on what grounds;

(b) whether it is also a fact that Delhi Bar Association has stalled the functioning of the courts whenever efforts have been made at introducing judicial reforms and if so, for how many days; and

(c) what action Government have taken against the lawyers who had threatened to shut down Tis Hazari and Rohini Courts during January, 2006?

THE MINISTER OF LAW AND JUSTICE (SHRI H.R. BHARDWAJ): (a) to (c) A Statement laid on the Table of the House.

†† The question was actually asked on the floor of the House by Shri Amar Singh.

Statement

(a) and (b) The lawyers under the banner of Delhi Bar Association have been on strike from 2nd January, 2006 in protest against the shifting of some courts from Tis Hazari to the new Court Complex at Rohini. A section of lawyers have been obstructing the working of Tis Hazari and Rohini Courts.

(c) The Hon'ble High Court of Delhi *vide* its resolution dated 10.01.2006 has, *inter-alia,* resolved that the District Judge shall arrange for adequate police force to be kept in reserve in the judgeship, to be deployed for protection of judicial officers, lawyers, litigants, court staff and the court property, and if possible video cameras should also be used. The resolution further says that the district judge should inform names of the persons involved in disrupting the court proceedings to the High Court forthwith so that appropriate proceedings for contempt of court can be taken. However, if any law and order problem arises, necessary action will be taken by the Government as per law.

श्री अमर सिंह: मान्यवर, मैं आपके माध्यम से आदरणीय कानून मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, चूंकि वे स्वयं एक प्रख्यात वकील रहे हैं और ऐसा माना जाता है कि उन्होंने अपना कैरियर तीस हज़ारी कोर्ट से शुरू किया है, इसलिए ऐसी क्या परिस्थितियां हैं कि उनके पुराने साथी वकील आज आन्दोलन कर रहे हैं और स्वयं उन्हीं की बिरादरी का होने के बावजूद उनकी मांग को पूरा करने में हमारे कानून मंत्री जी संवेदनशील नहीं हैं और तीस हजारी कोर्ट को अनावश्यक रूप से रोहिणी में ट्रांसफर किया जा रहा है?

श्री हंसराज भारद्वाज: श्रीमान्, मैं यह बताना चाहता हूं कि यह बात सही है कि मैंने अपनी वकालत तीस हज़ारी कोर्ट से ही शुरू की थी और इसलिए मेरा हृदय तीस हज़ारी कोर्ट के वकीलों से दूर नहीं है।

श्री सभापति: तब परम्परा क्या आप ही की डाली हुई है?

श्री हंसराज भारद्वाज: बहुत सारे लोग यह साबित करना चाहते हैं कि तीस हज़ारी कोर्ट के वकील काबिल नहीं होते, मेरा ख्याल है कि ये तो ऐसा नहीं सोचते होंगे।

मैं यह बताना चाहता हूं कि तीस हज़ारी की कोर्ट सन् 1958 में बनी थी और उस समय दिल्ली की जनसंख्या काफी कम थी। वह बहुत ही अच्छी कोर्ट थी, लेकिन अब दिल्ली की जनसंख्या बहुत बढ़ गई है इसलिए दिल्ली सरकार ने कोर्ट को डीसेन्ट्रलाइज़ करने के लिए दूसरी जगह पर शिफ्ट करने का निर्णय लिया। यह निर्णय हाई कोर्ट के द्वारा लिया गया। जब मैं पहली बार मंत्री बना था, तब वे वकील मेरे पास आए थे और उनके कहने की वजह से मैंने इस कार्य

को उस समय रोक दिया था और उनसे कहा था कि पहले इसे बन जाने दीजिए, बाद में हम शिफ्ट कर देंगे। जब बीजेपी की सरकार थी, उस समय भी यही प्रॉब्लम आई थी और तब भी कुछ दि के लिए यह रुक गया था। लेकिन अब हाई कोर्ट और दिल्ली सरकार ने मिलकर रोहिणी में अन्दर 60 करोड़ का कोर्ट बना दिया है और कहा कि अब करोड़ों के खर्च का कोर्ट तैयार हो ग है और अब इसे शिफ्ट कर दिया जाना चाहिए। इस प्रकार हाई कोर्ट और दिल्ली सरकार, दोनों मिल कर कोर्ट की शिफ्टिंग कर दी है और लॉयर इस बात को लेकर एजिटेटिड हैं। लेकिन मैं य कहना चाहता हूं कि उन्होंने जो किया है, वह ठीक नहीं किया है। यह चीज़ परम्परा के विरुद्ध कि वे कोर्ट को नुक़सान पहुंचाएं या जजों को मारें-पीटें। वहां पर इस प्रकार की बहुत ही दुख घटनाएं हुई हैं और इसी कारण से टेन्शन भी हो गई हैं। यहां तक कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का घेरा भी किया। इस प्रकार मेरे लिए उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ा है कि मैं उनके पास जाकर अप प्रभाव का इस्तेमाल करूं। मैं यह अवश्य चाहता हूं कि इसका कुछ न कुछ हल निकले, क्योंकि उनमें से ज्यादातर वकील ग़रीब हैं और देहाती क्षेत्रों से आते हैं। मैंने उन्हें यह भी समझाया था कि कोर्ट की अवमानना करने से पूरा सिस्टम खराब हो रहा है, आप ऐसा मत करिए और आप आपस में बैठ कर इस मसले को सुलझा लीजिए।

इस प्रकार यह एक बहुत ही गंभीर मामला है, जिसमें हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट अपना निर्णय ले चुके हैं, फिर भी अगर ऐसी कोई स्थिति आती है, जिसमें मदद की जा सके, तो अवश्य की जाएगी। इस समय उनकी मदद केवल इतनी ही हो सकती है कि किस प्रकार से रोहिणी में उनकी फैसिलिटीज़ को बढ़ाया जा सके, जैसे उन्होंने चैम्बर्स बनाने के लिए कहा है और उसमें हम उनका साथ दे सकते हैं। लेकिन मेरे लिए यह मुश्किल है कि मैं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ ऐसी कोई बात कहूं कि उन्होंने यह गलत निर्णय लिया है, इस बात को आप भी एप्रिशिएट करेंगे। मैं चाहता हूं कि यह दोनों इंस्टीट्यूशन्स बाहर बैठकर समझदारी से बात करें क्योंकि दोनों की ही परस्पर कॉम्प्लीमेंटरीज़ या सप्लीमेंटरीज़ हैं। मैं इसमें सहयोग देने के लिए भी तैयार हूं, लेकिन सभी वकीलों से मैं यह विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि वे कानून को अपने हाथ में न लें।

श्री अबू आसिम आज़मी: धन्यवाद सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि सन् 2002 में जस्टिस पटनायक की सदारत में सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की बैंच ने यह फैसला किया था कि बार एसोसिएशन की हड़ताल की कॉल पर रिस्पॉन्ड न करें? इसके बाद भी दिल्ली हाई कोर्ट में बार एसोसिएशन और एड्वोकेट्स ने कई बार स्ट्राइक की। इस पर क्या ऐक्शन हुआ? क्या यह सच है कि एड्वोकेट्स बार ऐसोसिएशन की कॉल पर स्ट्राइक में हिस्सा न लेने वाले वकीलों के साथ ज़ोर-ज़बरदस्ती की गई और उनको परेशान किया गया? इस बारे में कौन-कौन सी शिकायतें मिली हैं और क्या इस पर कोई ऐक्शन हुआ है?

شری ابو عاصم اعظمی : دھنیواد سر، میں آپ کے مادھیم سے منتری جی سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا یہ سچ ہے کہ ۲۰۰۲ء میں جسٹس پٹنائک کی صدارت میں سپریم کورٹ کے پانچ ججوں کی بینچ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ بار ایسوسی ایشن کی ہڑتال کی کال پر رسپونڈ نہ کریں؟ اس کے بعد بھی دہلی ہائی کورٹ نے بار ایسوسی ایشن اور ایڈووکیٹس نے کئی بار اسٹرائک کی۔ اس پر کیا ایکشن ہوا؟ کیا یہ سچ ہے کہ ایڈووکیٹس اور ایسوسی ایشن کی کال پر اسٹرائک پر حصہ نہ لینے والے وکیلوں کے ساتھ زور زبردستی کی گئی اور ان کو پریشان کیا گیا؟ اس بارے میں کون کون سی شکایتیں ملی ہیں اور کیا اس پر کوئی ایکشن ہوا ہے؟ †

श्री हंसराज भारद्वाज: सुप्रीम कोर्ट के कई निर्णय आए हैं। कॉमन कॉज पर भी एक डिसीजन है। मि० शौरी ने यह मामला सुप्रीम कोर्ट में उठाया था कि जनता को काफी परेशानी होती है। व्यवसाय वकीलों का ऐसा नहीं है कि वे कानून की अदालतें बंद कर दें। गाईड-लाइंस हैं, पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में एक ऐसी घटना हुई थी जहां लाठी-चार्ज हुआ, यहां पर भी हुआ, समय-समय पर होता है। तो वह वकीलों की परम्परा नहीं है कि लाठी-चार्ज और वह करें। वह अदब की दुनिया है, अदब से अपनी बात कह सकते हैं। जज और वकील एक ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं, जिन्हें आपस में टेंशन नहीं करना चाहिए और यह चीज बगैर बात के की गई है। जब कोर्ट जनता की सुविधा के लिए करोड़ों की बन गई है तो उसमें अगर सुविधाएं कम हैं तो हम ज्यादा करवा सकते हैं। लेकिन मौका नहीं देते ये लोग कि इस काम को सुलझा सकें।

SHRIMATI BRINDA KARAT: Sir, I am very happy that the Minister has expressed his sympathy with the position of the lawyers and also of the litigants. Sir, this strike is going on since January 2, 2006, and, yet from the way the Minister's reply, part (c) of his reply, has been framed, it seems that the approach is only to treat it as a law and order problem, *i.e.*, how to use the police to beat the lawyers into submission, how to have video cameras to check and see as to who is stopping whom and trying to picket the gates of Tis Hazari. So, this kind of approach of looking at a strike, a strike with genuine grievances, only as a law and order problem, I think, a very adversarial position which is not going to be helpful. Sir, the lawyers themselves raised an important issue that usually if a

†Transliteration in Urdu Script.

new court is set up, it is also a Government's decision, it is also an administrative decision, and, not just the higher court which opines on whether a court should be set up or not.

So, my question is: has the Government been consulted on the setting up of new courts in Delhi? If the Government has been consulted, what has been the Government's role, and, if not, is it not the jurisdiction of the Government also to take a position on this?

SHRI HANSRAJ BHARDWAJ: Mr. Chairman, Sir, I would like to inform the hon. Member that I would have been very happy had the lawyers come to me and talked to me about it. But they never came to me except when she told them two days back. I welcome them; my house is open everyday for lawyers also, and, at least, I can confide in you that more than hundred lawyers meet me everyday. But, on this particular case, I was neither invited to the function by the Delhi Government nor by the High Court, and not even by the lawyers. Despite the fact, I am answering this question today. I have a grievance against them. The question is that a lawyer cannot avoid lawyers but lawyers must behave like lawyers. They cannot behave like ordinary citizens. They demonstrated and *gheraoed* the Supreme Court first, they also demonstrated and *gheraoed* the High Court. They broke the computers; they broke the furniture and finally assaulted the Judges. Sir, I will not give the lawyers this kind of encouragement.

श्री सभापति: मंत्री महोदय, यह बताइए कि इतनी बड़ी समस्या है, इसका समाधान क्या है?

श्री हंसराज भारद्वाज: समाधान है। समाधान यह है कि दोनों पक्षों की बात को सुना जाए। दिल्ली सरकार ने जनता की परेशानियों को देखते हुए कुछ कोर्ट रोहिणी में बना दी।

श्री सभापति: वह तो हो गया।

श्री हंसराज भारद्वाज: वकीलों की जो परेशानियां हैं वे लिख कर दे दें, हम उनको सोल्व करा देंगे दिल्ली सरकार से, मैं तो यही करा सकता हूं। लेकिन वे अपनी बात कहने के बजाए तोड़-फोड़ करें, एक दूसरे से मारपीट करें, वह गलत है।

श्री सभापति: मैं इसलिए कहता हूं रोज समाचार पत्रों में आ रहा है, वकील परेशान, मुवक्किल परेशान, कोर्ट परेशान। सरकार उसको देखती रहे, यह कहां तक उचित है।

श्री हंसराज भारद्वाज: देख नहीं रही है सरकार। जनता की परेशानियों के लिए कोर्ट बनती हैं। वकीलों,के लिए कोर्ट नहीं बनती, जनता के लिए कोर्ट बनती है।

श्री सभापति: लेकिन कोर्ट फंक्शन तो करें।

श्री हंसराज भारद्वाज: वकील गलत समझते हैं कि सारा देश उनके लिए चल रहा है। जनता के लिए न्याय होता है और वकीलों को जनता की सेवा के लिए बनाया गया है।

श्री सभापति: इसमें जेठमलानी जी की मदद ले लीजिए।

SHRI RAM JETHMALANI: Sir, I fully associate myself with him.

श्री सभापति: नेक्स्ट क्वेश्चन 126। श्री राज मोहिन्दर सिंह मजीठा नहीं है, इसलिए आप बोलिए। श्री राम जेठमलानी जी, आप क्वेश्चन पूछिये।

विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को यू॰जी॰सी॰ से अनुदान

***126. श्री राज मोहिन्दर सिंह मजीठा:**
श्री राम जेठमलानी:††

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों को वित्तीय सहायता के रूप में अनुदान देता है;

(ख) यदि हां, तो क्या अनुदान की राशि प्रदान करने के लिए कोई एक समान मानदंड निर्धारित किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या यह भी सच है कि बिहार राज्य में प्रति विद्यार्थी सबसे कम अनुदान दिया जाता है जबकि कर्णाटक में प्रति विद्यार्थी यह अनुदान सबसे अधिक है; और

(ङ) यदि हां, तो ऐसे अनुदानों की राशि का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ङ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सभी पात्र केन्द्रीय विश्वविद्यालयों तथा उनके घटक/संबद्ध कालेजों को अनुरक्षण तथा विकास अनुदान प्रदान करता है। पात्र राज्य विश्वविद्यालयों तथा उनके पात्र सम्बद्ध कालेजों के मामले में आयोग केवल विकास अनुदान प्रदान करता है जबकि अनुरक्षण अनुदान संबंधित राज्य सरकार द्वारा प्रदान किए जाते हैं।

विभिन्न योजनाओं के तहत इन स्कीमों में निर्धारित मानदण्डों के अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विकास अनुदान प्रदान किए जाते हैं जो सभी पात्र संस्थाओं पर एक समान

---

††सभा में यह प्रश्न श्री राम जेठमलानी द्वारा पूछा गया।